

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक-10.09.2020

19.12 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 10 लाख रुपये) व 01 मोटरसाइकिल सहित 02 अभियुक्त थाना खुर्जा देहात पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर श्री संतोष कुमार सिंह के आदेशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक देहात श्री हरेन्द्र कुमार के कुशल निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खुर्जा श्री सुरेश कुमार एवं प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा देहात श्री अखिलेश कुमार गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 09/10.09.2020 की रात्रि में चौकी प्रभारी धराऊ उ०नि० उम्मेद अली मय पुलिस टीम के थाना के क्षेत्र में तलाश वांछित व संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चैकिंग में मामूर थे कि जब गश्त करते हुए पुराना जीटी रोड पर पीले बम्बे पर पहुँचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति चौला की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर खुर्जा की ओर आ रहे हैं जिनके पास नाजायज गांजा भी है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम पीले बम्बे पर चैकिंग करने लगी। कुछ समय पश्चात चौला की ओर से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते दिखायी दिये जिनको पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो अभियुक्त मोटरसाइकिल को पीछे मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे तभी उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गयी। पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर दोनों अभियुक्तों को समय रात्रि करीब 19.50 बजे 19.12 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 10 लाख रुपये), 01 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1- फजल पुत्र नसीर निवासी मोहल्ला रुकन सराय थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर
- 2- समीर पुत्र इमरान निवासी मोहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना औरंगाबाद बुलन्दशहर

बरामदगी-

- 1- 19.12 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 10 लाख रुपये)
- 2- 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल

गिरफ्तार दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के मादक पदार्थ तस्कर हैं जिनके द्वारा बुलन्दशहर व अन्य स्थानों पर मादक पदार्थ(गांजा) को अधिक कीमत पर बिक्री कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा रहा था। अभियुक्त फजल के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर निम्न अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्त फजल का आपराधिक इतिहास-

- 1- मु०अ०सं०- 124/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर
- 2- मु०अ०सं०- 596/17 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर
- 3- मु०अ०सं०- 1215/17 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर
- 4- मु०अ०सं०- 742/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर
- 5- मु०अ०सं०- 310/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना खुर्जा देहात जनपद बुलन्दशहर

अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खुर्जा देहात पर मु०अ०सं०-310/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को मा० न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के नाम-

1. श्री अखिलेश कुमार गौड़ प्रभारी निरीक्षक खुर्जा देहात
2. उ०नि० उम्मेद अली, है०का० आदेश कुमार, है०का० लक्ष्मी नारायण, का० आदेश कुमार